न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 16/2016

बउनवान

1– सूरजमल पुत्र रामप्रताप नाई निवासी उदपुरिया हाल मुकाम आदर्श नगर, कुन्हाडी कोटा, जिला–कोटा

2– जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति–नाई निवासी–उदपुरिया, तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

3– चन्द्रप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति–नाई निवासी नाईयों का चौक, सीसवाली तहसील–मॉगरोल

4– कमलाबाई पत्नी रामप्रताप जाति–नाई निवासी–नाईयों का चौक सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील, विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 632 दिनांक 29.6.2015 वाके ग्राम उदपुरिया अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री देवकीनन्दन गालव, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 16.04.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,सीसवाली द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 632 दिनांक 29.6.2015 वाके ग्राम उदपुरिया से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा, 75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम उदपुरिया के माल में अपीलांट्स एवं प्रेमबाई, मोहनीबाई पुत्रियॉ रामप्रताप के सयुक्त खाते में आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 2.65 है0 नहरी अवस्थित थी जिनके बॅटवारें का दावा अपीलांट सूरजमल द्वारा अन्य सहखातेदारान् के विरूद्व एवं राजस्थान सरकार के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में मुकदमा नं0 76/2014 पेश किया था जिसमें दौराने दावा श्रीमती प्रेमबाई, मोहनीबाई द्वारा अपने–अपने हिस्से 1/6, 1/6 यानि 1/3 को सूरजमल, जगदीशप्रसाद, चन्द्रप्रकाश के हक में त्याग देने एवं आपसी राजीनामे के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल ने दिनांक 9.6.2015 को राजस्व लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित कर, सूरजमल, जगदीशप्रसाद व चन्द्रप्रकाश प्रत्येक को अपना 1/6, 1/6 हिस्सा यानि 5/18 हिस्सा देते हुये मौके पर 4 टुकडे हिस्से अनुसार करते हुये पूर्व की तरफ का हिस्सा चन्द्रप्रकाश, इसके बाद सूरजमल को, इसके बाद कमलाबाई ओर इसके बाद जगदीशप्रसाद के तदनुसार अंकन करने व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये थे परन्तु नायब तहसीलदार, सीसवाली ने बिना अपीलांट को सूचना दिये,

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जानबूझकर न्यायालय निर्णय व डिक्री के विपरीत इन्तकाल नं0 632 दर्ज करते हुये सूरजमल, जगदीश व चन्द्रप्रकाश को 5/18 हिस्सा पर सहखातेदारी अंकित किया ओर कमलाबाई का नाम तो इन्तकाल में दर्ज किया परन्तु उसका हिस्सा दर्ज नहीं किया तथा ना हीं डिक्री के मुताबिक उनके हिस्सों की दिशायें अंकित की गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के निर्णय व डिक्री की पूर्ण पालना अनुसार राजस्व रेकार्ड में हिस्सा व नक्शे का अंकन होना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 632 दिनांक 29.6.2015 ग्राम उदपुरिया को निरस्त फरमाया जाकर, निर्णय व डिक्री की पूर्ण पालना करने हेतु नामान्तकरण दर्ज करने हेतु नायब तहसीलदार, सीसवाली को आदेशित किया जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। नामान्तकरण अभिलेख की प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व बहिने जो श्री रामप्रताप की जायन्दा वारिस है। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में ख0नं0 175 रकबा 2.65 है0 अवस्थित ग्राम। जिनका बंटवारे का दावा उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल में प्रस्तुत होने पर, उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान् द्वारा सहमति से बंटवारा प्रस्तुत पेश करने पर दिनांक 9.6.2015 को सहमति के आधार पर, प्रेमबाई व मोहनीबाई पुत्रियॉ रामप्रताप द्वारा अपना हिस्सा अपीलांट कम 1ता 3 के पक्ष में हक त्याग करने पर, सहमति के आधार पर विधिवत हिस्सा व दिशा दर्ज करने के आदेश व डिक्री जारी की गयी थी। इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर, नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमलाबाई व प्रेमबाई हिस्सा 1/6, 1/6 यानि 1/3 हिस्सा अपीलांट्स कम 1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग करने पर, अपीलांट का हिस्सा 5/18, 5/18 बनता है। इसी आधार पर इन्तकाल तस्दीक होना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स सूरजमल, जगदीश, चन्द्रप्रकाश का हिस्सा 5/18 दर्ज किया है, जबकि प्रत्येक का हिस्सा 5/18, 5/18 दर्ज होना चाहिये था। इसी प्रकार कमलाबाई का हिस्सा भी दर्ज होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो विधिवत रूप से सहीं हिस्सा दर्ज किया ना हीं डिक्री अनुसार दिशा दर्ज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीकी करने में भारी त्रुटि व भूल की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण सं0 632 निरस्त फरमाया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमायी जाकर, आदेश दिये जावे कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2015 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इसके विपरीत विद्वान पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना में इन्तकाल तस्दीक किया है। अपीलांट ने उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। तत्समय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा राजस्व लोक अदालत में सहमति बॅटवारा प्रस्ताव के आधार पर, कमलाबाई व प्रेमबाई द्वारा अपना हिस्सा का हक त्याग करने पर, सहमति के आधार पर दिनांक 09.06.2015 को आदेश व डिक्री जारी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में अपीलांट्स का हिस्सा दर्ज करने में 5/18 हिस्सा दर्ज किया गया है, जबकि न्यायालय डिक्री अनुसार सूरजमल, जगदीश, चन्द्रप्रकाश प्रत्येक का 5/18, 5/18 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। इसी प्रकार कमलाबाई पत्नी रामप्रताप के हिस्सा दर्ज नहीं है, ना हीं अपीलांट्स का नक्शे अनुसार दिशा दर्ज की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की गयी है जो निरस्त या दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 632 दिनांक 29.6.2015 वाके ग्राम उदयपुरिया निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 09.06.2015 का विधिक रूप से अवलोकन कर, अपीलांट्स के हिस्से व दिशा को दर्शाते हुये, अन्दर एक माह विधिक व सहीं नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official